कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2594 /FP/UK/ROAD/13205/2015 :देहरादूनः 16 मई, 2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25–सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः– जनपद देहरादून के विधानसभा रायपुर के अन्तर्गत सौड़ा द्वारा से चमेली चौक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.01 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।
(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/13205/2015)

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या 8वी/यू. सी.पी./06/292/2015/एफ0सी0/1552 दिनॉक 29–10–2018.

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयॉकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून के पत्रांक 1873/12–1 दिनांक 20. 04.2022 (प्रति सलंग्न) के द्वारा विन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। विन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही हैः–

| S.N. | Observation | Compliance |
|---|---|---|
| 1. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के वदले 6.01 हे0 ग्राम वगर द्वारा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के वाहर है, अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं नोटिमिकेशन के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। | शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के वदले दुगुने अर्थात् 6.02 हे0 अवनत सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि 16,77,563.00 (रू0 सौलह लाख सत्तर हजार पांच सौ तिरसठ मात्र) जमा कर दी गयी है। उक्त भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण के आदेश जिलाधिकारी देहरादून आदेश संख्या–45/12ए–7(2017–20)/डी0एल0आर0सी0, दिनांक–06.11.2017 द्वारा किये गये हैं, जिसकी छाया प्रति संलग्न कर प्रेपित है। साथ ही खाता खतौनी में उक्त भूमि अमल दरामद कर वन विभाग उत्तराखण्ड के नाम दर्ज कर ली गयी है, छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। |
| 2. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। | शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ. सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित धनराशि रू0 25,43,450.00 (पच्चीस लाख तैंतालीस हजार चार सौ पचास रू0 मात्र जमा कर दी गयी है। |
| 3. | शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर मे अगर वढ़ोतरी होती है, तो वढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन वद्धता प्रस्तुत की जाए। | शर्त संख्या–3 के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि के सम्बन्ध में वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संलग्न किया है, जो कि आपको प्रेषित है। |
| 4 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की | शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु रू0 16,77,563.00 एवं एन.पी.वी. की धनराशि रू0 25,43,450.00 कुल रू0 42,21,013.00 |

| | | |
|---|---|---|
| | गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी। | (रू0 बयालीस लाख इक्कीस हजार तेरह मात्र) की धनराशि वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम से जमा कर दिये गये हैं, (संलग्न– ) |
| 5 | सड़क निर्माण के पश्चात् जहां जहां संभव हो सड़क के किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग क देख–रेख में Strip Plantation की जायेगी। | शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि मार्ग निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क के दोनों ओर स्वयं के व्यय पर वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation किया जायेगा। |
| 6 | राज्य सरकार मूल प्रस्ताव की Original प्रति जिसमें प्रमुखतः Part I to V, Digital map of diversion area, CA scheme, CA site suitability Certificate , NPV rate calulation एवं FRA certificate लगे हों जैसा कि Online web portal पर अपलोड किया गया है, प्रेषित करना सुनिश्चित करें। | शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या–425/कैम्प–दे0दून, दिनांक– 17.07.2018 (छायाप्रति संलग्न) से उक्त मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कॉपी कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरी–केन्द्रीय क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून को उपलब्ध करा दी गयी है। |

अतः विषयाँकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नः–यथोपरि</u>

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

**संख्या :–2594 / FP/UK/ROAD/13205/2015 तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून उत्तराखण्ड।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

16/5/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

W/C